GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 20
TO BE ANSWERED ON 4th FEBRUARY, 2025

"AYUSH visa for availing treatment"

20. **Smt. Kiran Choudhry:**

Will the Minister of ***Ayush*** be pleased to state:

(a) the details of the maximum duration of stay allowed under the Ayush Visa, and whether it can be extended based on treatment needs;

(b) whether there are any financial guarantees or insurance requirements for foreigners applying for this visa; and

(c) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (IC) OF THE MINISTRY OF AYUSH
(SHRI PRATAPRAO JADHAV)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House

STATEMENT REFRRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 20 FOR 4th FEBRUARY, 2025

(a) The period of validity of Ayush visa is up to a period of one year or till the period of treatment, whichever is less with maximum of three entries during the one year period. Further, it can be extended on yearly basis up to a maximum period of 05 years from the date of issue of initial Ayush Visa by the concerned Foreign Regional Registration Office (FRRO) on production of Medical Certificate/ advice from a recognized hospital in India.

(b) & (c) An Ayush visa is granted to a foreigner who is holding sufficient money to spend during his/her stay in India including the expenses for such treatment. The concerned Mission/Post shall satisfy itself before granting such visa to the foreign national. However, there is no insurance requirement for applying Ayush Visa.

*****

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 20
04 **फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

उपचार प्राप्त करने के लिए आयुष वीज़ा

20. **श्रीमती किरण चौधरी:**

क्या ***आयुष*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष वीज़ा के तहत रहने की अधिकतम अवधि का ब्यौरा क्या है, और क्या इस अवधि को उपचार की आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है;

(ख) क्या इस वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों के लिए कोई वित्तीय गारंटी या बीमा संबंधी आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 04 फरवरी, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) आयुष वीजा की वैधता की अवधि एक वर्ष की अवधि अथवा उपचार की अवधि, जो भी कम हो, तक होती है और एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, इस अवधि को भारत में किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण-पत्र/परामर्श प्रस्तुत करने पर उस तिथि से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है जिस तिथि से संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा प्रारंभिक आयुष वीजा जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) आयुष वीज़ा ऐसे विदेशी नागरिक को दिया जाता है जिसके पास भारत में रहने के दौरान खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो, जिसमें ऐसे उपचार का खर्च भी शामिल है। संबंधित मिशन/पोस्ट विदेशी नागरिक को ऐसा वीज़ा देने से पहले स्वयं को संतुष्ट करेगा। हालाँकि, आयुष वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए बीमा की कोई आवश्यकता नहीं है।

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Sir, first of all, I would like to say that AYUSH is a very stellar programme of the Government and I would like to thank the hon. Prime Minister for giving impetus to this. I would like to ask the hon. Minister: Are there any specific criteria or eligibility requirements for foreign nationals to qualify for the AYUSH visa particularly concerning the type of treatment they seek? And is there any provision for the caregivers or attendants of AYUSH visa holders to obtain a visa for the same duration as the patient?

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 में हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस AYUSH visa की घोषणा की गई थी। AYUSH visa के माध्यम से बाहर के लोग भी ज्यादातर आयुष उपचार कराने के लिए हमारे देश में आते थे। AYUSH visa के माध्यम से यहाँ पर उनको बहुत ही सरलता से सुविधा दी गई है। यहाँ AYUSH visa की जो श्रेणियाँ है, उनमें दो तरह के visa दिए जाते हैं – पहला, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपचार कराने के लिए और दूसरा, रोगियों के साथ आने वाले उनके attendant के लिए। इसके लिए e-AYUSH भी उपलब्ध है और e-AYUSH attendant visa भी उसके माध्यम से दिया जाता है। निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी का जो उद्देश्य है कि हमारा जो आयुष है, विशेष कर हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी जो प्राचीन उपचार पद्धति है, योग है, उसका दुनिया के कोने-कोने तक प्रचार और प्रसार हो, तो इस AYUSH visa के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे देश में आकर इससे उपचार करा रहे हैं।

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Sir, I would also like to ask the hon. Minister: Are there any specific countries that are given priority for this AYUSH visa?

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभापति महोदय, ऐसे किसी भी देश को विशेष प्राथमिकता नहीं दी गई है। यहाँ पर सभी देशों को AYUSH visa की सहूलियत दी गई है। उसके माध्यम से लगभग 75 देशों से लगभग 1,500-1,600 visa के माध्यम से परदेसी लोग यहाँ पर आकर AYUSH treatment या आयुष उपचार ले चुके हैं। बहुत सारे विदेशी लोग ऐसे होते हैं, जो tourist visa लेकर आते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ पर भी हमारे आयुष के सेंटर या केंद्र अच्छी तरह से चलते हैं, वहाँ पर भी वे 2-4-5 दिन का या 10 दिन का समय लेकर उपचार कराते हैं। इस प्रकार, ऐसे किसी भी देश के लिए कोई विशेष सुविधा आयुष के माध्यम से नहीं दी गई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third supplementary, *Mananiya* Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: It may be very short.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI TIRUCHI SIVA: Is the Ministry considering including yoga and naturopathy as a system in the National Commission for Indian System of Medicine?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over *Mananiya Mantriji*.